

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *284
07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

टेलीमेडिसिन सेवाओं की प्रभावकारिता

***284. डॉ. सी. एन. मंजुनाथ:**

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) और ई-संजीवनी प्लेटफार्म के अंतर्गत गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के उपचार के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं के उपयोग और प्रभावकारिता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) विशेषकर ग्रामीण और आकांक्षी जिलों में विशेषज्ञों के माध्यम से टेली-परामर्श सेवाएं प्रदान करने की सुविधा से लैस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
- (ग) क्या हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर और अन्य प्रमुख गैर-संचारी रोगों के लिए रोग-विशिष्ट टेली-परामर्श प्रोटोकॉल या उपचार संबंधी मानक दिशा-निर्देश बनाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार का विचार अल्पसेवित क्षेत्रों में गैर-संचारी रोग परिचर्या की स्थिति में सुधार लाने के लिए एबीडीएम और ई-संजीवनी के अंतर्गत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने और विशेषज्ञ टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 07 अगस्त, 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.284 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रदान करने और गंभीर बीमारियों तथा उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियों के प्रबंधन के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं—विशेष रूप से ई-संजीवनी (राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा) और व्यापक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) पारितंत्र के माध्यम से उपयोग और प्रभावशीलता की निगरानी और समीक्षा की है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) को भारत सरकार द्वारा सितंबर, 2021 में एक एकीकृत, नागरिक केंद्रित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र के विकास में सहायता के लिए लॉन्च किया गया था। पीएम-जेएवाई, राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी), निक्षय, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम और एकीकृत स्वस्थ भारत पोर्टल सहित ई-संजीवनी (टेलीमेडिसिन) और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम प्लेटफॉर्म एबीडीएम के अनुरूप हैं। इसने ई-संजीवनी में स्वास्थ्य अभिलेखों के अंतर-संचालनीय आदान-प्रदान को सक्षम किया है, जिससे गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए स्वास्थ्य सेवाओं सहित टेलीमेडिसिन सेवाओं में और सुधार हुआ है। नागरिक अपने मेडिकल रिकॉर्ड (जैसे प्रिस्क्रिप्शन, निदान रिपोर्ट, डिस्चार्ज विवरण) को डिजिटल रूप में सुरक्षित तरीके से संग्रहीत और एक्सेस कर सकते हैं तथा अपनी सहमति के बाद इन्हें स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा कर सकते हैं। इससे एक दीर्घकालिक स्वास्थ्य हेल्थ हिस्ट्री बन पाती है, जो गैर-संचारी और अन्य रोगों के प्रबंधन/उपचार के लिए उपयोगी है और सभी नागरिकों के लिए सुलभ तथा किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने हेतु अंतर संचालनीय डिजिटल सेवाओं को भी सक्षम बनाती है।

राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी का बड़ी संख्या में महिलाओं और बुजुर्ग/वरिष्ठ नागरिकों द्वारा उपयोग किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस मंच का उपयोग जरूरतमंद और कमजोर वर्गों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं और रोगों, जिनमें गैर-संचारी रोग भी शामिल हैं, संबंधी परामर्श के लिए किया जा रहा है। यह सेवा ऐप-आधारित प्लेटफॉर्म पर 14 भाषाओं में और वेब-आधारित टेलीमेडिसिन सेवाओं पर 15 भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे आकांक्षी जिलों सहित दूरस्थ, ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों की संवेदनशील आबादी तक भी इसकी पहुंच सुनिश्चित होती है।

30 जुलाई, 2026 तक की स्थिति के अनुसार, ई-संजीवनी ने 19,257 हब और 1,41,341 स्पोक्स के नेटवर्क जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), आयुष्मान आरोग्य मंदिर

(एएएम), उप-जिला अस्पताल और जिला अस्पताल शामिल हैं, के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 48.95 करोड़ से अधिक टेलीकंसल्टेशन को सुगम बनाया है। ई-संजीवनी पर टेलीकंसल्टेशन का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक में संलग्न** है।

इसके अतिरिक्त, भारत के राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ई-संजीवनी की अवसंरचना में इसकी क्षमता, चिकित्सीय प्रभावशीलता और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से तकनीकी उन्नयन किया गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग के एकीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समावेशन के साथ उन्नत संस्करण ई-संजीवनी 2.0 ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुदृढ़ किया है तथा दूरस्थ और अल्पसेवित क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाओं के प्रावधान में सहायता की है। विशेषज्ञ परामर्श के लिए अनुरोध करने की सुविधाएँ ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध एआई-आधारित क्लिनिकल निर्णय सहायता प्रणाली (सीडीएसएस) रोगी सहायता के लिए विस्तृत प्रपत्र के माध्यम से रोगों के लक्षणों को व्यवस्थित रूप से दर्ज करने और संभावित रोगों की पहचान करने में सक्षम बनाती है। यह एक 'रूल इंजन' के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सक की अनुशंसा भी करता है और हब-एंड पर चिकित्सक को संभावित रोगों का क्रमिक निदान प्रदान करता है, जिससे रोगियों का विशेषज्ञों से जुड़ाव सुगम होता है तथा परामर्श में सहायता मिलती है। अप्रैल, 2023 में इसके एकीकरण से लेकर जुलाई, 2026 तक, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानकीकृत डेटा कैप्चर से लगभग 30.4 करोड़ ई-संजीवनी परामर्श संभव हुए हैं और लगभग 2.13 करोड़ एआई आधारित क्रमिक निदान से स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में एकरूपता सुनिश्चित हुई है।

राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर सहित प्रमुख गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, जांच, निदान, उपचार और फॉलो-अप के लिए मानक उपचार प्रोटोकॉल और परिचालन दिशानिर्देश उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने एनसीडी जांच और प्रबंधन तथा पाँच सामान्य एनसीडी अर्थात् उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुख कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु 2018 में एनपी-एनसीडी के अंतर्गत राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल को लागू किया है। यह प्रोटोकॉल एनपी-एनसीडी के अंतर्गत सभी परामर्शों पर लागू होता है।

अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ई-संजीवनी टेलीकंसल्टेशन की स्थिति (30 जुलाई, 2026 तक संचयी)						
क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल कार्यशील हब*	कुल कार्यशील स्पोक्स	ई-संजीवनी एएएम में कुल परामर्शों की संख्या	ई-संजीवनी ओपीडी में कुल परामर्शों की संख्या	टेलीकंसल्टेशन की कुल संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	78	1257	5	1262
2	आंध्र प्रदेश	1221	11429	85892219	36989	85929208
3	अरुणाचल प्रदेश	12	198	8590	560	9150
4	असम	365	3232	3224045	49266	3273311
5	बिहार	53	9907	32653643	124793	32778436
6	चंडीगढ़	6	56	135067	19197	154264
7	छत्तीसगढ़	280	4624	5021183	1231	5022414
8	दिल्ली	5	28	3545	92815	96360
9	गोवा	23	106	3341	2194	5535
10	गुजरात	1957	9323	13478653	1015280	14493933
11	हरियाणा	198	1857	1186767	213715	1400482
12	हिमाचल प्रदेश	548	1928	1191407	7482	1198889
13	जम्मू और कश्मीर	512	1903	1877633	146353	2023986
14	झारखंड	30	3317	4259143	12584	4271727
15	कर्नाटक	2087	6409	25516332	5412497	30928829
16	केरल	132	6831	3183132	582207	3765339
17	लद्दाख	2	206	172567	76	172643
18	लक्षद्वीप	2	7	668	0	668
19	मध्य प्रदेश	185	10215	12231251	8170	12239421
20	महाराष्ट्र	1890	9573	13216801	767892	13984693
21	मणिपुर	30	275	103401	8714	112115
22	मेघालय	49	566	399682	10	399692
23	मिजोरम	88	297	52201	191	52392
24	नागालैंड	1	231	16850	10	16860
25	ओडिशा	491	6597	5429753	305	5430058
26	पुदुच्चेरी	4	46	6974	44	7018
27	पंजाब	17	1650	949914	4401	954315
28	राजस्थान	2062	6258	3287809	114164	3401973
29	सिक्किम	26	157	59104	11	59115
30	तमिलनाडु	1791	6928	72395726	1748214	74143940
31	तेलंगाना	958	5714	33680835	28658	33709493
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	25	113	155681	60	155741
33	त्रिपुरा	117	675	215537	145	215682
34	उत्तर प्रदेश	4019	18714	69260134	1836175	71096309
35	उत्तराखंड	11	1226	626475	975430	1601905
36	पश्चिम बंगाल	68	10707	86395492	13054	86408546
